**संख्या-356/2020/554/22-2-2018-17(93)/2008**

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2** **लखनऊ दिनांक 11 सितम्बर, 2020**

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरवैल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15023/प्रोवेशन-3(एम-06-04-2018) दिनांक-16-04-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरवैल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह, झाला ममौरी, थाना-बिलसण्डा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बंदी ने जमीन के विवाद में दिनांक 05.04.2001 को समय सांय 04:30 बजे लगभग अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मार कर धीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-433/2002 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 364, 307, 302/149, 201/149 के अन्तर्गत स्पेशल जज (एस0सी0/एस0टी0एक्ट) पीलीभीत के आदेश दिनांक 22.09.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2005 द्वारा अपील खारिज करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.03.2018 तक 14 वर्ष 09 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 03 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति में सम्मिलित जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी के अशक्त प्रतीत नहीं होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने जमीन के विवाद में दिनांक 05.04.2001 को समय सांय 04:30 बजे लगभग अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मार कर धीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 52 वर्ष 04 माह लगभग है तथा शरीरिक रूप से अशक्त नहीं है की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने समिति की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नरवैल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी नरवैल सिंह (बन्दी संख्या-39955) पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

**संख्या-356/2020/554(1)/22-2-2018 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश सख्ंया-356/2020/554/22-2-2018-17(93)/2008**

**दिनांक 11 सितम्बर, 2020 का संलग्नक**

**सरकार के आदेश**

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरवैल सिंह (बन्दी संख्या-39955) पुत्र श्री प्यारा सिंह, झाला ममौरी, थाना-बिलसण्डा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बंदी ने जमीन के विवाद में दिनांक 05.04.2001 को समय सांय 04:30 बजे लगभग अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मार कर धीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-433/2002 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 364, 307, 302/149, 201/149 के अन्तर्गत स्पेशल जज (एस0सी0/एस0टी0एक्ट) पीलीभीत के आदेश दिनांक 22.09.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2005 द्वारा अपील खारिज करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.03.2018 तक 14 वर्ष 09 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 03 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति में सम्मिलित जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी के अशक्त प्रतीत नहीं होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने जमीन के विवाद में दिनांक 05.04.2001 को समय सांय 04:30 बजे लगभग अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मार कर धीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 52 वर्ष 04 माह लगभग है तथा शरीरिक रूप से अशक्त नहीं है की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने समिति की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नरवैल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।